न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **251/08 (वाद)**

GCMS No. : 2008/00050

1. छगनलाल पिता लालू जी कुमावत आयु वयस्क, निवासी भानसोल,
2. नारायणलाल पिता लालू जी कुमावत आयु वयस्क, निवासी भानसोल,
3. नानालाल पिता लालू जी कुमावत आयु वयस्क, निवासी भानसोल मृतक के बजाय

3/1–गीता पत्नी स्व. नानालाल जी कुमावत आयु वयस्क, निवासी भानसोल,

3/2–पुष्कर पिता स्व. नानालाल जी कुमावत आयु वयस्क, निवासी भानसोल,

3/3–गणेश पिता स्व. नानालाल जी कुमावत आयु 15 वर्ष, जरिये बविलायत माता गीता पत्नी स्व. नानालाल जी कुमावत आयु वयस्क, निवासी भानसोल,

3/4–योगेश पिता स्व. नानालाल जी कुमावत आयु 12 वर्ष, जरिये बविलायत माता ' गीता पत्नी स्व. नानालाल जी कुमावत आयु वयस्क, निवासी भानसोल,

4. रामलाल पिता लालू जी कुमावत आयु वयस्क, निवासी भानसोल,
5. श्रीमती मोहनीबाई पत्नी लालू जी कुमावत आयु वयस्क, निवासी भानसोल, सर्व तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

...........वादीगण

बनाम्

1. मांगीलाल पिता परथा जी कुमावत आयु वयस्क, निवासी भानसोल,

1/1 श्रीमती गोपीबाई बेवा मांगीलाल कुमावत निवासी भानसोल

1/2 श्रीमती टमुबाई पत्री मांगीलाल कुमावत पत्नी कनीराम कुमावत निवासी भानसोल तहसील मावली हाल निवासी धोइन्दा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।

2. ऊंकारलाल पिता मेघा जी लोहार आयु वयस्क, निवासी भानसोल
3. लक्ष्मण पिता भंवरू जी कुमावत आयु वयस्क, निवासी भानसोल,
4. कालू पिता भंवरू जी कुमावत आयु वयस्क, निवासी भानसोल,
5. चम्पालाल पिता भंवरू जी कुमावत आयु वयस्क, निवासी भानसोल,
6. मोहन पिता भंवरू जी कुमावत आयु वयस्क, निवासी भानसोल,
7. श्रीमती कंकू बेवा भंवरू जी कुमावत आयु वयस्क, निवासी भानसोल,
8. उप पंजीयक महोदय, उप पंजियन कार्यालय मावली
9. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार सा० मावली
10. रूपलाल पिता गोदा जी कुमावत आयु वयस्क, निवासी भानसोल,
11. श्रीमती गुलाबी बेवा गोदा जी कुमावत आयु वयस्क, निवासी मानसोल, सभी तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री सुशील ओस्तवाल, अधिवक्ता वादीगण।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 11.07.2025

1. वादीगण द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि [illegible] तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०) के आराजी नम्बर [illegible], 1260, [illegible], 1267, 1268,1269, 1270, 1287, 1288,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:13:01 IST
Reason: SelfAttested

1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294 किता 15 कुल रकबा 21 बीघा 4 बिस्वा भूमि राजस्व रिकार्ड में लालू, गोदा, मांगीलाल पिता पस्था 3/4 हिस्सा, लक्ष्मण, कालु, चम्पालाल, मोहन पिता भंवरू, मु.कंकू बेवा भंवरू 1/4 हिस्सा अनुसार अंकित है, गोदा का स्वर्गवास हो जाने से उसके वारिस प्रतिवादी सं. 10, 11 है। आराजी नम्बर 1295, 1299, 1300, 1856, 1932, 2147, 2614/5598, 558 किता 8 कुल रकबा 66 बीघा 6 बिस्वा भूमि राजस्व रिकार्ड में लालू, गोदा, मांगीलाल पिता परथा 3/4, लक्ष्मण, कालू चम्पालाल मोहन पिता भंवरू, कंकू पिता भंवर 1/4 हिस्सानुसार अंकित है, जमाबंदी की नकल संलग्न है। गोदा का स्वर्गवास होने से उनके वारिस प्रतिवादी संख्या 10 व 11 को पक्षकार बनाया गया है।

2. यह कि उक्त वर्णित भूमि में से आराजी नं. 1856 जिसके साबिक नं. 1192, 1193 किता दो रकबा एक बीघा नो बिस्वा थे को गोदा, भंवरू, मांगीलाल ने हमारे पिता/पति लालू जी को संवत् 2025 में बिल एवज रूपया 2250/—रूपया में विक्रय कर कब्जा सिपुर्द किया और तभी से उक्त भूमि पर हम काबिज हो काश्त कर रहे है इसलिए हम वादीगण उक्त संयुक्त खातेदारी की भूमि का बंटवारा विधिक रूप से करवाकर हमारे हिस्से की 1/4 हिस्सा भूमि एवं आ०नं0 1192, 1193 रकबा एक बीघा नो बिस्वा को स्वतन्त्र रूप से अपने नाम पर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने के अधिकारी है। वर्णित आराजीयात राजस्व रिकार्ड में संयुक्त रूप से अंकित है और मौके पर भी हम सभी सहखातेदारान अपने अपने हिस्से की भूमि पर संयुक्त रूप से काबिज है और जब तक उक्त संयुक्त खातेदारी की भूमि का सभी सहखातेदारान के मध्य विधिक रूप से बंटवारा नहीं हो जाता तब तक किसी भी सहखातेदार को उक्त भूमि या इसका कोई भू भाग किसी अन्य को विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं है

3. यह कि प्रतिवादी संख्या 1 से 7 की नियत में फितुर आ जाने से ये लोग उक्त संयुक्त खातेदारी की भूमि में से अच्छी किस्म की भूमि को किसी अन्य को विक्रय करने पर आमादा है इसलिए हम वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के विरूद्ध इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 7 तब तक उक्त संयुक्त खातेदारी की भूमि का विधिक रूप से बंटवारा नहीं हो जाता तब तक उक्त भूमि में से अच्छी किस्म की भूमि को किसी अन्य को विक्रय नही करें और रिकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखें। वादीगण का प्राइमाफैसी कैस है क्योंकि उक्त कलम संख्या एक में वर्णित भूमि के हम खातेदार काश्तकार है, सुविधा संतुलन भी हमारे पक्ष में है क्योंकि उक्त संयुक्त खातेदारी की भूमि पर हम वादीगण संयुक्त रूप से काबिज हो काश्त कर रहे है और यदि प्रति वादीगण उक्त संयुक्त खातेदारी की भूमि को बिना विधिक रूप से बंटवारा करवाये किसी अन्य को विक्रय कर देगें तो इससे

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:13:01 IST
Reason: SelfAttested

जो क्षति हम वादीगण को होगी उसका मूल्याकंन रूपयों पैसो में किया जाना असंभव है और स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादीगण को किसी प्रकार की कोई क्षति नही होगी।

4. यह कि वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद कारण दिनांक 8.9.08 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 ने उक्त संयुक्त खातेदारी की भूमि को विक्रय करने की धमकी दी और उत्पन्न होकर निरतंर जारी है।

5. अंत में निवेदन किया की उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी की भूमि का विधिक रूप से बंटवारा करवाया जाकर हम वादीगण के हिस्से की 1/4 हिस्सा भूमि को स्वतन्त्र रूप से राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अंकन फरमाई जावें व इसी अनुसार अलग से लगान जारी फरमाया जावे। तथा आराजी नं. 1856 पूरी हम वादीगण की खातेदारी में घोषित फरमायी जावें। वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 के विरूद्ध इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें कि प्रतिवादी संख्या 1 से 7 उक्त कलम संख्या एक (अ–ब) में वर्णित संयुक्त खातेदारी की भूमि को बिना विधिक रूप से बंटवारा करवाये उक्त भूमि या इसका कोई भू भाग किसी अन्य को विक्रय नही करे और यदि प्रतिवादीगण उक्त भूमि को विक्रय बाबत कोई दस्तावेज प्रतिवादी संख्या 8 के समक्ष प्रस्तुत करे तो प्रतिवादी संख्या आठ ताफैसला वाद किसी भी दस्तावेज जो उक्त भूमि बाबत् होवे उसका पंजीयन नहीं करे और रिकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखें और हम वादीगण को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे इसमें किसी प्रकार की बाधा प्रतिवादीगण न स्वयं उत्पन्न करे न अपने नौकर चाकर एजेन्ट परिवारजन आदि से करवावें।

6. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2, 3, 5 से 7, 11 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। प्रतिवादी सं. 8, 9 राजपेरोकार औपचारिक पक्षकार होने से जवाब नहीं देना चाहा। प्रतिवादी संख्या 1, 4, 10 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी नं. 1856 जिसके साबिक नं. 1192, 1193 किता दो रकबा एक बीघा दो बिस्वा थे को हम प्रतिवादी कालू व रूपलाल के पिता गोदा भंवरू व मुझ प्रतिवादी मांगीलाल ने वादीगण के पिता/पति लालूजी को संवत् 2025 में बिल एवज रूपया 2250/– रूपया में विक्रय नही किया था और न ही कब्जा सिपुर्द किया है। उक्त आराजी पर वादीगण का कभी भी कोई कब्जा नहीं रहा है। हम प्रतिवादीगण ही उक्त आराजी पर काबिज हो निरन्तर निर्बाध रूप से उपयोग उपभोग करते आ रहे है और हम प्रतिवादीगण के ही कब्जे काश्त में आज भी है। वादीगण केवल मात्र अपने 1/4 हिस्सा भूमि का बंटवारा करा अपने स्वतन्त्र रूप से नाम पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Runadia
Date: 2025.09.17 18:13:01 IST
Reason: SelfAttested

दर्ज कराने के अधिकारी है। आराजी नं. 1192, 1193 में वादीगण को कोई स्वत्व हक अधिकार नहीं है जिसे वह अपने नाम पर दर्ज कराने के अधिकारी है। उक्त वर्णित आराजीयात राजस्व रिकार्ड में संयुक्त रूप से अंकित है लेकिन मौके पर सभी सहखातेदारो के मध्य बंटवाड़ा किया हुआ होकर अपने–अपने हिस्सेनुसार भूमियों पर काश्त कर रहे है हम प्रतिवादीगण भी अपने हिस्सा भूमि पर काबिज हो उपयोग उपभोग करते आ रहे है और हमारे हिस्से की भूमि को हम प्रतिवादीगण ने काफी खर्चा कर आवादान कर रखा है। हम प्रतिवादीगण अपने हिस्से की भूमि को किसी को भी नही बेच रहे है और न ही विक्रय करने पर आमादा है। वादीगण हम प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है क्योंकि हम प्रतिवादीगण भी उक्त भूमि के सहखातेदार है और अपने–अपने हिस्सेनुसार भूमियों पर काबिज हो उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। वादीगण का कोई प्राइमाफैसी केस नहीं है और ही सुविधा संतुलन वादीगण के पक्ष में है। हम प्रतिवादीगण अपने हिस्सा भूमि को किसी भी व्यक्ति को विक्रय नही कर रहे है और न ही विक्रय करने पर ही आमादा है। हम प्रतिवादीगण भी उक्त भूमि के सहखातेदार काश्तकार है और सहखातेदार काश्तकार के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है इसलिये वादीगण हमारे विरूद्ध किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से हम प्रतिवादीगण को भारी क्षति होगी और हम प्रतिवादीगण हमारे खाते कब्जे की भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित हो जायेगे। वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से किसी प्रकार की क्षति नही होगी। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्द्र हम प्रतिवादीगण के पक्ष में है। वादीगण को हम प्रतिवादीगण के विरुद्ध वाद कारंण दिनांक 8.9.2008 या अन्य किसी दिन उत्पन्न नहीं हुआ है और न ही हम प्रतिवादीगण ने भूमि को विक्रय करने की धमकी ही दी है। वादीगण ने मात्र मिथ्या वाद प्रस्तुत करने की नियत से गलत वाद कारण बता वाद पेश किया है। वादीगण एवं हम प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रेकर्ड में अंकित हिस्सानुसार एवं मौके पर कब्जेनुसार उक्त वर्णित आराजीयात बंटवाड़ा कराने में हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। वादीगण का आराजी नं. 1192, 1193 कुल रकबा एक बीघा नो बिस्वा भूमि में कोई हक अधिकार कब्जा नहीं है और न ही उक्त कृषि भूमि को वादीगण को विक्रय ही की गई है। उक्त कृषि भूमि हम प्रतिवादीगण के उपयोग उपभोग एवं कब्जे में है और निरन्तर बिना किसी बाधा के चली आ रही है। जिसके लिये वादीगण माननीय न्यायालय से किसी प्रकार की दाद प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। वादीगण हम प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है क्योंकि हम उक्त भूमि के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:13:01 IST
Reason: SelfAttested

सहखातेदार काश्तकार है और हम प्रतिवादीगण उक्त भूमि को विक्रय नही कर रहे है। अंत में निवेदन किया कि वादीगण एवं हम प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रेकर्ड में अंकित हिस्सानुसार एवं मौके पर कब्जेनुसार उक्त वर्णित आराजीयात का बंटवाड़ा कर दिया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है।

7. प्रकरण में न्याय निर्णय हेतु निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई।
   1. क्या वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित अ परिशिष्ट में वादीगण का 1/4 हिस्सा है जिसका विभाजन कराने के अधिकारी है।
   2. क्या कलम संख्या 1 में वर्णित परिशिष्ट ब में आराजी नम्बर 1295, 1299, 1300, 1932, 2147, 2614/5598, 558 में वादीगण का 1/4 हिस्सा है तथा इसी परिशिष्ट में आराजी नम्बर 1856 जिसके साबिक नम्बर 1192, 1193 जिसमें हमारा 1/4 हिस्सा तो पूर्व में ही है, अब 2/3 हिस्सा गोदा, भमरू, मांगीलाल ने हमारे पिता लालू को संवत 2025 में बिल एवज रूपये 2250 में विक्रय कर कब्जा सिर्पूद कर दिया तभी से भूमि पर मैं काबिज काश्त कर रहा हूं। इसलिए हाल आराजी नम्बर 1856 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा सम्पूर्ण हम वादीगण के नाम खातेदारी घोषित कराने के अधिकारी है।

8. प्रकरण में साक्ष्यवादी प्रारम्भ की गई। साक्ष्यवादी गवाह रामलाल पिता लालू का मुख्य परीक्षा का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिरह अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा की गई। गवाह छगनलाल पिता लालुराम से जिरह अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा की गई। उसके पश्चात दिनांक दिनांक 25.02.2021 को अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1, 4, 10 एवं स्वयं प्रतिवादी संख्या 1, 4, 10 अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किए गए।

9. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा लिखित बहस में वाद पत्र के कथनो को दौहराते हुए निवेदन किया कि उपरोक्त मामले में प्रतिवादी संख्या 1 मांगीलाल पिता परथा कुमावत एवं प्रतिवादी संख्या 4 कालू पिता भमरू, प्रतिवादी संख्या 10 रूपलाल पिता गोदा कुमावत की ओर से जवाबदावा पेश किया गया है परन्तु उस जवाबदावा पर प्रतिवादी संख्या 10 के कोई हस्ताक्षर या निशानी नहीं है इसलिये उसके जवाब का कोई औचित्य नही है। केवल विक्रय नही किया एवं कब्जा नही सौपा है यह कथन किया है और किसी भी दस्तावेज से सम्वत् 2025 के विक्रय पत्र का खण्डन नही किया है, केवल मात्र मौखिक अटकले ही लगाई जा रही हैं। ऐसी अवस्था में वादीगण अपने 1/4 हिस्से के साथ ही उक्त आराजी नम्बर 1856 को भी अपने नाम कराने के अधिकारी है। प्रतिवादी ने अपने जवाबदावे के समर्थन में कोई गवाह भी पेश नहीं किया है। विक्रय पत्र की लिखापढ़ी प्रदर्श–1 है जो साक्ष्य में ग्राह्य है। प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:13:01 IST
Reason: SelfAttested

ने वादीगण की शहादत के दौरान भी इस दस्तावेज (विक्रय पत्र) के प्रदर्श के वक्त कोई एजराज नही किया था इसलिये उक्त लिखापढ़ी साक्ष्य में पढ़ी जायेगी। इस प्रकार प्रतिवादी ने वादीगण के वाद पत्र को दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से किसी प्रकार से खण्डन नही किया हैं। वाद पत्र के परिशिष्ट (अ) में वर्णित आराजीयात में 1/4 हिस्से की भूमि को हम वादीगण के नाम पर स्वतन्त्र रूप से राजस्व रेकार्ड में अंकन फरमाया जावे तथा आराजी नम्बर 1856 सम्पूर्ण हम वादीगण की खातेदारी में घोषित फरमाई जावें। प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावे के निवेदन में यह स्वीकार किया है कि हम वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रेकार्ड में अंकित हिस्से अनुसार एवं मौके पर कब्जे अनुसार कलम संख्या (अ) (ब) में वर्णित आराजीयात का बंटवाड़ा कर दिया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है इसलिये उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित फरमाई जावें। तनकी संख्या 1 व 2 में केवल आराजी नम्बर 1856 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा जिसके पुराने नम्बर 1192, 1193 कुल किता 2 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा है। प्रतिवादीगण की और से न तो स्वयं प्रतिवादीगण शहादत में आए है एवं न ही उनकी और से गवाह प्रस्तुत हुए हैं। वादीगण की ओर से पीडब्ल्यू–1 छगनलाल प्रस्तुत हुआ है एवं छगनलाल ने दस्तावेज सबुत में प्रदर्श–1 विक्रय पत्र प्रस्तुत किया है जिसकी फोटोकॉपी प्रदर्श–1ए है एवं खाते की नकले प्रदर्श–2 है, खाते की नकले प्रदर्श–3 प्रस्तुत की है। वाद बटवाड़े एवं घोषणा का है जहां तक बंटवाड़े का प्रश्न है उसके लिए प्रतिवादीगण ने कोई एतराज नही किया है एवं जवाबदावे में भी उन्होने सहमति जाहिर की है। प्रतिवादी ने जवाबदावे की कलम संख्या 9 में स्पष्ट किया है, केवल साबिक आराजी नम्बर 1192, 1193 जिसके हाल आराजी नम्बर 1856 है उसके लिये उस सम्पूर्ण आराजी को हम वादीगण के नाम पर खातेदारी हक से घोषित कराने बाबत् इन्कारी की है इसके लिये हमारी और से विक्रय पत्र प्रस्तुत हुआ है वह विक्रय पत्र कुमावत गोदा भाई भंवरलाल मांगीलाल सुत परथा जी भाणोल वाला अप्रंच भाई छगनलाल, लालुराम देणा रूपया 2250 अक्षरे बाईसो पचास उन रूपयो पेटे उन्होने अपनी साबिक आराजी नम्बर 1192, 1193, हम वादीगण को विक्रय कर दी एवं उस विक्रय पत्र को हमने गवाह पीडब्ल्यू–1 छगनलाल से, पीडब्ल्यू–2 फतहलाल पेश किये है। फतहलाल उस लिखापढ़ी में साख दी है उन्होने अपने बयान में स्पष्ट कहा है कि उस लिखापढ़ी में मांगीलाल, गोदा, भंवरलाल के कहने से साख दी थी और उन्होने विक्रय पत्र मेरे सामने हस्ताक्षर किये, कब्जा भी वादीगण का ही हैं। प्रतिवादी की और से फतहलाल से कोई जिरह नही की है। वादीगण ने उस दस्तावेज को भली भांति साबित करवाया है तथा दस्तावेज प्रदर्श करते समय प्रतिवादीगण की ओर से किसी प्रकार का कोई एतराज नही किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:13:01 IST
Reason: SelfAttested

है एवं दस्तावेज प्रदर्श हुआ हैं। ऐसी अवस्था में अब इसको नही मानने की कोई वजह नही है। प्रतिवादीगण की ओर से न तो स्वयं पेश हुए है एवं न ही कोई स्वतन्त्र गवाह पेश हुआ है ऐसी अवस्था में हम वादीगण ने हाल आराजी नम्बर 1856 सम्पूर्ण हमारे खाते में दर्ज कराने का कथन साबित किया है, अन्य आराजी का बंटवाड़ा किया जावे एवं इस आराजी को हमारे नाम घोषित फरमाया जावें। अंत में निवेदन किया कि वादीगण की और से लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि हम वादीगण का वाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाद वर्णित कृषि भूमि आराजी नम्बर 1856 सम्पूर्ण का हम वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें एवं वाद वर्णितानुसार शेष आराजी का बंटवाड़ा कर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जाकर वाद पत्र डिक्री फरमाया जावें।

10. हमने विद्वान अधिवक्ता वादी एक पक्षीय बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में तनकीवार निर्णय इस प्रकार है कि :–

1. क्या वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित अ परिशिष्ट में वादीगण का 1/4 हिस्सा है जिसका विभाजन कराने के अधिकारी है।

उक्त तनकी को साबित कराने का भार वादीगण पर है। प्रदर्श 3 ग्राम भानसोल की नकल जमाबंदी संवत 2061–64 के खाता संख्या 444 पर दर्ज आराजी नम्बर 1259, 1260, 1261, 1267, 1268,1269, 1270, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294 किता 15 कुल रकबा 21 बीघा 4 बिस्वा भूमि राजस्व रिकार्ड में लालू, गोदा, मांगीलाल पिता परथा 3/4 हिस्सा, उंकारलाल पिता मेगा 1/4 हिस्सा अनुसार अंकित है, जमाबंदी पर अंकित नोट अनुसार विरासत/हकत्याग के नामान्तकरण संख्या 1148 दिनांक 20.12.07 से गोदा पिता परथा के स्थान पर रूपलाल पिता गोदा 3/16, मु. गुलाबी बेवा गोदा 1/16 हिस्से से दर्ज हुई। इस प्रकार वादीगण के स्वयं के दस्तावेज प्रदर्श 3 से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण के नाम नही है। ना ही वादीगण द्वारा वादपत्र में कोई सजरा प्रस्तुत किया गया। जबकि वादीगण द्वारा वाद में अंकित अनवान के अनुसार वादीगण के पिता लालू है। वादग्रस्त भूमि में लालू पिता परथा का नाम दर्ज है। परन्तु वादीगण ने अपने वाद पत्र में यह स्पष्ट नही किया की वादीगण के मौरूस लालू पिता परथा का नाम ही जमाबंदी में क्यों दर्ज है। यदि वादीगण के मौरूस लालू का निधन हो गया है तो इसके संबंध में वादीगण को वाद पत्र में कथन करना चाहिए था। इस वाद के साथ संलग्न अन्य प्रकरण संख्या 316/08 अनवान मांगीलाल बनाम छगनलाल क[illegible]त में कथन किया गया है कि वादी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:13:01 IST
Reason: SelfAttested

मौरूस लालू का निधन हो गया है। वादीगण को विरासत का नामान्तरकरण पारित करवाकर उक्त भूमि अपने नाम दर्ज करवानी चाहिए थी। परन्तु वादीगण द्वारा ऐसा नही किया गया, तथा ना ही वादीगण द्वारा वाद पत्र की परिशिष्ट अ में वर्णित आराजीयात के संबंध में किसी प्रकार की घोषणा चाही गई है। इस प्रकार परिशिष्ट अ से संबंधित आराजीयात के संबंध में वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 3 से स्पष्ट है कि वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानो के अनुसार वादग्रस्त भूमि का बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अंकित सहखातेदार ही करवा सकते है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड नकल जमाबंदी में अंकित नही है। जिसके कारण वादीगण को वाद पत्र की कलम संख्या 1 के परिशिष्ट अ में वर्णित आराजीयात का विभाजन कराने का कोई अधिकार नही है। अत : उक्त तनकी वादीगण के विरूद्ध साबित की जाती है।

2. क्या कलम संख्या 1 में वर्णित परिशिष्ट ब में आराजी नम्बर 1295, 1299, 1300, 1932, 2147, 2614/5598, 558 में वादीगण का 1/4 हिस्सा है तथा इसी परिशिष्ट में आराजी नम्बर 1856 जिसके साबिक नम्बर 1192, 1193 जिसमें हमारा 1/4 हिस्सा तो पूर्व में ही है, अब 2/3 हिस्सा गोदा, भमरू, मांगीलाल ने हमारे पिता लालू को संवत 2025 में बिल एवज रूपये 2250 में विक्रय कर कब्जा सिर्पूद कर दिया तभी से भूमि पर मैं काबिज काश्त कर रहा हूं। इसलिए हाल आराजी नम्बर 1856 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा सम्पूर्ण हम वादीगण के नाम खातेदारी घोषित कराने के अधिकारी है।

उक्त तनकी को साबित कराने का भार वादीगण पर है। वादीगण द्वारा उक्त तनकी को साबित कराने के लिए प्रदर्श 2 ग्राम भानसोल की नकल जमाबंदी संवत 2061–64 के खाता संख्या 443 पर दर्ज आराजी नम्बर 1295, 1299, 1300, 1856, 1932, 2147, 2614/5598, 558 किता 8 कुल रकबा 66 बीघा 6 बिस्वा भूमि राजस्व रिकार्ड में लालू, गोदा, मांगीलाल पिता परथा 3/4, लक्ष्मण, कालू चम्पालाल मोहन पिता भंमरू, कंकू पिता भंमरू 1/4 हि.ब. दर्ज है। जमाबंदी पर अंकित नोट अनुसार विरासत/हकत्याग के नामान्तकरण संख्या 1148 दिनांक 20.12.07 से गोदा पिता परथा के स्थान पर रूपलाल पिता गोदा 3/16, मु. गुलाबी बेवा गोदा 1/16 हिस्से से दर्ज हुई। इस प्रकार उक्त भूमि में वादीगण का नाम नही है। जिसके संबंध में विवेचन तनकी संख्या 1 में किया जा चुका है। परन्तु उक्त तनकी में वादीगण द्वारा आराजी नम्बर 1856 में घोषणा भी चाही गई है। जिसके संबंध में वादीगण द्वारा वादपत्र की कलम संख्या 2 में कथन

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:13:01 IST
Reason: SelfAttested

किया गया है कि उक्त भूमि वादीगण के पिता द्वारा क्रय की गई है जिसके आधार पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे। जिसके संबंध में वादीगण द्वारा प्रदर्श 4 ए अनस्टाम्प/अनरजिस्टर्ड इकरार प्रस्तुत किया है। जिसमें स्वयं वादीगण पक्षकार नही है। वैसे भी वादीगण के कथनानुसार उनके पिता द्वारा भूमि का क्रय किया गया है। अनस्टाम्प/अनरजिस्टर्ड दस्तावेजात के आधार पर राजस्व न्यायालय को खातेदारी अधिकार देने का कोई अधिकार नही है। इस संबंध में निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत का सद्भावनापूर्वक उल्लेख किया जाना न्यायोचित होगा जो इस प्रकार हैः—

RLW 2009(1) RJ Page No. 343
Board of revenue for Rajasthan
Jagdish vs Radhe Shyam & Ors.

''राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 88, 183, 207 सि.प्र.सं. आदेश 7 नियम 11 — अपंजीकृत करार के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान करना—अभिनिर्धारित — अपंजीकृत करार के आधार पर दायर वाद को सुनने की अधिकारिता राजस्व न्यायालयों को नहीं है और न ही अपंजीकृत करार के आधार पर खातेदारी अधिकार अर्जित किये जा सकते है — इस आधार पर अधिकार एवं स्वत्व साबित करने के लिये अधिकारिता सिविल न्यायालयों में निहित है, अतः विनिर्दिष्ट अनुपालनार्थ वाद लाना ही होगा।''

आर.आर.डी. 14.08.2019

ओमप्रकाश बनाम रूकमणी देवी एण्ड अन्य (92)

Revision No. 2809/Sriganganagar of 2016 decided on 20th May, 2019

'' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, धारा 224 — विचारण न्यायालय ने घोषणा का वाद डिक्री किया — अपीलीय न्यायालय ने उक्त आदेश की पुष्टि की — मण्डल में द्वितीय अपील— अभिनिर्धारित — विक्रय के इकरारनामे के आधार पर खातेदारी नहीं दी जा सकती, इसी प्रकार विपरीत कब्जे के आधार पर खातेदारी देय नहीं — दोनो अधीनस्थ न्यायालयों ने उक्त विधिक प्रस्थापित सिद्धान्त के उल्लंघन में आदेश पारित किया है जो गैर कानूनी होने से अपास्त किया गया तथा वादी का वाद खारिज किया गया।''

आर.आर.डी. पेज नम्बर 173
छोगा बनाम रामनाथ

'' जब इकरारनामा रजिस्ट्रीकृत नहीं ... इससे वाद भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।''

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 13:13:01 IST
Reason: SelfAttested

आर.आर.टी. 2016(1) पेज नम्बर 723
रामप्रताप बनाम कमला बाई

''राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955–धारा 229 व 53 अपंजीकृत इकरारनामा पर वाद आधारित – रा.अ.प्रा. ने वाद खारिज किया और राजस्व मण्डल ने निर्णय यथावत रखा–निर्णय में बिन्दुओं का विस्तृत विवेचन किया – अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर अधिकार या स्वत्व प्राप्त नहीं होते–निर्णीत, याचिक खारिज होने योग्य है।''

2018 (2) आर.आर.टी. 1062
कजोड़ बनाम नारायण

''राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956–धारा 135 – नामान्तरकरण – भूमि का अन्तरण जिसका मूल्य 100 /– रूपये से अधिक है, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा किया जा सकता है – निचले न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष – नामान्तरकरण संख्या 1 विधि के प्रतिकूल खोला– निर्णित, समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप अस्वीकार किया।''

2014–15 (Supp.) आरआरटी पेज नम्बर 664
महेश बनाम अमरलाल

''राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955–धारा 88, 89, 90, 92–ए व 188–घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा–वादी के पक्ष में तनकी नं. 1 पर समवर्ती निष्कर्ष–अनरजिस्टर्ड दस्तावेज से भूमि हस्तान्तरित नहीं की जा सकती–दस्तावेज प्रदर्श 1ए व 5ए अनरजिस्टर्ड हैं–निचले न्यायालयों के त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष–वादीगण रेकॉर्डेड काश्तकार नहीं हैं और स्थायी निषेधाज्ञा हेतु पात्र नहीं है–प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकार स्वीकार नहीं किये जा सकते–निर्णीत, अपील गुणागणहीन है व खारिज की।'' (पैरा 7)

2019(1) आरआरटी पेज नम्बर 332
शंकर बनाम सुरेन्द्र सिंह रावत

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908–धारा 100–स्थायी व आदेशात्मक निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु वाद डिक्री किया तथा विवादित वाद सम्पत्ति पर निर्माण को ध्वस्त करने का निर्देश किया–अपीलाण्ट्स प्रतिवादीगण अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर स्वत्व का दावा कर रहे है जो कि अपीलाण्ट्स को कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करता–प्रतिकूल कब्जा का अभिवाक् समवर्ती रूप से खारिज किया–असंगत बचाव अभिवाक–निर्णीत, अपील गुणागणहीन है व खारिज की। (पैरा 6,9,12)

Imp. Point :- Unregistered document do not confer any right or title.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Shri Punadia
Date: 2025.09.17 13:13:01 IST
Reason: SelfAttested

2006(1) आरआरटी पेज नम्बर 190

''राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955—धारा 88—प्रतिकूल अधिपत्य के आधार पर घोषणा हेतु वाद पेश किया—वाद डिक्री हुआ किन्तु राजस्व अपील प्राधिकारी ने उल्टा किया तथा वादी का अधिपत्य पाया तथा टिप्पणी की कि वादी को बिना विधिक प्रक्रिया के बेदखल न किया जावे—वादी ने अनरजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये 'एच.डी' से भूमि क्रय की तथा अधिपत्य सिपुर्द किया—भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा अन्तरित नहीं की गई तथा अधिपत्य विक्रय करार के आधार पर है तथा वादी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हुए और अधिपत्य भी प्रतिकूल अधिपत्य नहीं कहा जा सकता—तनकी नं. 2 पर विचारण न्यायालय के निष्कर्ष प्रतिकूल है—वादी का अधिपत्य अनुमति से है—निर्णीत, राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय व डिक्री में अवैधता नहीं है व संपुष्टि की।'' (पैरा 6,7,8)

उपर्युक्त न्यायिक दृष्टांत से स्पष्ट है कि अनस्टाम्प/अनरजिस्टर्ड विक्रय इकरारनामे के आधार पर खातेदारी अधिकारी नही दिये जा सकते है। इस प्रकरण में वादी द्वारा अनस्टाम्प/अनरजिस्टर्ड विक्रय इकरारनामा प्रस्तुत किया गया है जिसके आधार पर खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं न्यायिक दृष्टांत के आधार पर वादीगण तनकी संख्या 1, 2 एवं वाद पत्र को साबित कराने में असफल रहने से वादीगण का वाद स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं।

इस पत्रावली के साथ एक अन्य प्रकरण संख्या 316/08 वाद उनवान मांगीलाल बनाम छगनलाल इस पत्रावली के साथ संलग्न है। वादी मांगीलाल के विरूद्ध प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किए जा चुके है। वादी द्वारा अपने वाद पत्र को साबित कराने के लिए कोई साक्ष्य सबूत पेश नही किए है। मांगीलाल द्वारा प्रस्तुत वाद केवल मात्र बंटवाड़े का है। मांगीलाल प्रकरण में उपस्थित भी नही हो रहा है। ऐसे में मांगीलाल द्वारा प्रस्तुत वाद पृथक से चलाने का कोई औचित्य नही है। बंटवाड़े का वाद पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है। इस कारण प्रकरण संख्या 316/08 वाद उनवान मांगीलाल बनाम छगनलाल भी बंटवाड़े का नया वाद प्रस्तुत करने के अधिकारो को सुरक्षित रखते हुए खारिज योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मेंटेबल नही होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। इस प्रकरण के साथ संलग्न प्रकरण संख्या 316/08 उनवान मांगीलाल बनाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:13:01 IST
Reason: SelfAttested

छगनलाल भी बंटवाड़े का नया वाद पेश करने के अधिकारो को सुरक्षित रखते हुए खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

निर्णय एवं डिक्री की एक प्रति प्रकरण संख्या 316/08 उनवान मांगीलाल बनाम छगनलाल में भी संलग्न की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 11.07.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 13:13:01 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली
बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.
उनवान

1. छगनलाल पिता लालू जी कुमावत आयु वयस्क, निवासी भानसोल,
2. नारायणलाल पिता लालू जी कुमावत आयु वयस्क, निवासी भानसोल,
3. नानालाल पिता लालू जी कुमावत आयु वयस्क, निवासी भानसोल मृतक के बजाय

3/1–गीता पत्नी स्व. नानालाल जी कुमावत आयु वयस्क, निवासी भानसोल,
3/2–पुष्कर पिता स्व. नानालाल जी कुमावत आयु वयस्क, निवासी भानसोल,
3/3–गणेश पिता स्व. नानालाल जी कुमावत आयु 15 वर्ष, जरिये बविलायत माता गीता पत्नी स्व. नानालाल जी कुमावत आयु वयस्क, निवासी भानसोल,
3/4–योगेश पिता स्व. नानालाल जी कुमावत आयु 12 वर्ष, जरिये बविलायत माता ' गीता पत्नी स्व. नानालाल जी कुमावत आयु वयस्क, निवासी भानसोल,

4. रामलाल पिता लालू जी कुमावत आयु वयस्क, निवासी भानसोल,
5. श्रीमती मोहनीबाई पत्नी लालू जी कुमावत आयु वयस्क, निवासी भानसोल, सर्व तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

............वादीगण

बनाम्

1. मांगीलाल पिता परथा जी कुमावत आयु वयस्क, निवासी भानसोल,

1/1 श्रीमती गोपीबाई बेवा मांगीलाल कुमावत निवासी भानसोल
1/2 श्रीमती टमुबाई पत्री मांगीलाल कुमावत पत्नी कनीराम कुमावत निवासी भानसोल तहसील मावली हाल निवासी धोइन्दा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।

2. ऊंकारलाल पिता मेघा जी लोहार आयु वयस्क, निवासी भानसोल
3. लक्ष्मण पिता भंवरू जी कुमावत आयु वयस्क, निवासी भानसोल,
4. कालू पिता भंवरू जी कुमावत आयु वयस्क, निवासी भानसोल,
5. चम्पालाल पिता भंवरू जी कुमावत आयु वयस्क, निवासी भानसोल,
6. मोहन पिता भंवरू जी कुमावत आयु वयस्क, निवासी भानसोल,
7. श्रीमती कंकू बेवा भंवरू जी कुमावत आयु वयस्क, निवासी भानसोल,
8. उप पंजियक महोदय, उप पंजियन कार्यालय मावली
9. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार सा० मावली
10. रूपलाल पिता गोदा जी कुमावत आयु वयस्क, निवासी भानसोल,
11. श्रीमती गुलाबी बेवा गोदा जी कुमावत आयु वयस्क, निवासी मानसोल, सभी तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

...............प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>
<u>मुकदमा न0 : 251/08 (वाद) GCMS No. – 2008/00050</u>

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल [illegible] रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता [illegible] डिक्री दी जाती है कि:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:13:01 IST
Reason: SelfAttested

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मेंटेबल नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। इस प्रकरण के साथ संलग्न प्रकरण संख्या 316/08 उनवान मांगीलाल बनाम छगनलाल भी बंटवाड़े का नया वाद पेश करने के अधिकारो को सुरक्षित रखते हुए खारिज किया जाता है। निर्णय एवं डिक्री की एक प्रति प्रकरण संख्या 316/08 उनवान मांगीलाल बनाम छगनलाल में भी संलग्न की जावे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 11.07.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:13:01 IST
Reason: SelfAttested